रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042020-219055
CG-DL-E-15042020-219055

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2020/चैत्र 26, 1942
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2020/CHAITRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2020

सं. 07/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 252 (अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से एतद्द्वारा संशोधित करती है, यथाः-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या, दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015 [सा.का.नि. 110(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2015]	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्द "15 अप्रैल, 2020" के स्थान पर अंकों और शब्द "14 अक्तूबर, 2020 " को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2.	अधिसूचना संख्या 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. 293(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2015]	उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अन्तः स्थापित किया जाएगाः- "3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 14 अक्टूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, जारी रहेगा।"

[फा. सं. 354/10/2008–टीआरयू (पीटी. II)]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोटः-

(1) प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015 को सा.का.नि. 110(अ), दिनांक 18 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 04/2020-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 10 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 99(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।

(2) प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 293(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2020

No. 07/2020 -Customs (ADD)

G.S.R.252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendments in each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Sl. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Notification No. **05/2015**-Customs (ADD) dated the 18th February, 2015 [G.S.R. 110(E), dated the 18th February, 2015]	In the said notification, in paragraph 3, for the figures and words "15th April, 2020", the figures and words "14th October, 2020" shall be substituted.
2.	Notification No. **13/2015**-Customs (ADD) dated the 16th April, 2015 [G.S.R. 293 (E), dated the 16th April, 2015]	In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: - "3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 14th October, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/10/2008-TRU (Pt. II)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note:-

1. The principal notification No. **05/2015**-Customs (ADD) dated the 18th February, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 110 (E), dated the 18th February, 2015 and was last amended, *vide* notification No. 04/2020-Customs (ADD), dated the 10th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 99 (E), dated the 10th February, 2020.

2. The principal notification No. **13/2015**-Customs (ADD) dated the 16th April, 2015 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 293 (E), dated the 16th April, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.15 19:32:55 +05'30'